भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 50
दिनांक 21 जून, 2019 को उत्तर के लिए

सीसीआई की बाल संरक्षण नीति

50. श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरेः
श्री फिरोज़ वरुण गांधीः
श्री पी॰पी॰ चौधरीः
श्री सुमेधानन्द सरस्वतीः
श्री सुनील कुमार सिंहः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में वर्तमान में कुल कितने आश्रय गृह और बालचर्या संस्थान (सीसीआई) हैं तथा उक्त गृहों/इकाइयों में बच्चों की राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड सहित राज्य-वार संख्या कितनी है;
(ख) उक्त बालचर्या संस्थानों और आश्रय गृहों के विरुद्ध शिकायतों और सूचित अपराधों का ब्यौरा क्या है तथा बलात्कार जैसे अपराधों के पीड़ितों द्वारा शिकायतें दर्ज करवाने के लिए क्या तंत्र अपनाया गया है;
(ग) क्या इन आश्रय गृहों में बच्चों में जागरूकता फैलाने के लिए नोडल एजेंसी या केन्द्र स्थापित किया गया है जहां शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) सरकार द्वारा उन 539 बालचर्या संस्थानों जिन्हें बंद कर दिया गया था, के बच्चों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;
(ङ) क्या सरकार द्वारा विद्यमान आश्रय गृहों की दशा में सुधार विशेषकर अवसंरचनात्मक सुधार के लिए कार्रवाई की जा रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या सरकार का इससे संबंधित विद्यमान नीति में संशोधन करने का प्रस्ताव है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी — महिला एवं बाल विकास मंत्री

क) राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार तथा झारखंड सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के बाल संरक्षण सेवाओं के अंतर्गत सहायता प्रदान किए जा रहे आश्रय गृहों तथा बालचर्या संस्थानों (सीसीआई) की कुल संख्या अनुलग्नक-I में दी गई है ।

(ख) और (ग) सरकार ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 (सीपीसीआर) बनाया है जिसके अंतर्गत बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए वैधानिक निकायों के रूप में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) तथा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोगों (एससीपीसीआर) का सृजन किया गया है । इन आयोगों को किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 109 के अंतर्गत किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (किशोर न्याय अधिनियम) के प्रावधानों को लागू करने की निगरानी करने का अधिदेश प्राप्त है । राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, इसने गत तीन वर्षों के दौरान बाल देखरेख संस्थाओं तथा आश्रय गृहों के खिलाफ 140 शिकायतें दर्ज की है ।

इसका राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा अनुलग्नक-।। में है । पीडित व्यक्तियों द्वारा एनसीपीसीआर में शिकायत दर्ज करवाने के कई तरीके है जिसमें पोक्सो ई-बोक्स (ncpcr.gov.i n/i ndex2.php) तथा ई-बालनिदान (wwwebaal ni dan.ni c.i n) के माध्यम से एनसीपीसीआर को सीधे ही पत्र लिखना शामिल है ।

(घ) और (च) मंत्रालय बाल संरक्षण स्कीम (सीपीएस) का कार्यान्वयन कर रहा है और अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के बालचर्या संस्थानों की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बालकों की स्थिति का विश्लेषण करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है । किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) माडल नियम 2016 में अन्य बातों के साथ-साथ शारीरिक अवसंरचना, कपडा, विस्तर, पोषण एवं खुराख तथा शिक्षा, रोजगार प्रशिक्षण, परामर्श आदि जैसे पुर्नवास उपायों के लिए मानक विनिर्दिष्ट किए गए हैं । किशोर न्याय अधिनियम में बाल कल्याण समितियों, किशोर न्याय बोर्डों तथा राज्य सरकारों द्वारा नियमित निगरानी को अनिवार्य बनाया गया है । मंत्रालय ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 जिसमें बाल कल्याण समितियों, किशोर न्याय बोर्डों तथा राज्य सरकारों द्वारा नियमित निगरानी को अनिवार्य बनाया गया है, के अंतर्गत यथानिर्धारित अनिवार्य निगरानी की आवश्यकता पर बल दिया गया है । किशोर न्याय अधिनियम के निष्पादन का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों का होता है ।

सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों से जिला मेजिस्ट्रेटों की निगरानी में निरीक्षण करवाने का अनुरोध किया गया था । मंत्रालय ने किसी बालचर्या संस्थान में बालकों के शोषण के मामले में की जाने वाली अपेक्षित कार्यवाही के संबंध में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सलाहकार पत्र भी जारी किया है ।

*****

अनुलग्नक-।

"बाल देखरेख संस्थाओं की बाल संरक्षण नीति" के संबंध में श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे, श्री फिरोज वरुण गांधी, श्री पी॰पी॰ चौधरी, श्री सुमेधानन्द सरस्वती तथा श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा दिनांक 21-06-2019 को उठाए गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 50 के भाग (ख और ग) के उत्तर में विर्दिष्ट विवरण

इन गृहों यूनिटों में रहने वाले बच्चों की संख्या सहित वर्तमान में देश में 31-03-2019 को राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, और झारखंड सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार आश्रय गृहों तथा बाल देखरेख संस्थाओं (सीसीआई) की कुल संख्या

क्रं.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्थागत देखभाल गृह		खुल आश्रय		विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरण	
		सहायता प्रदान किए गए की संख्या	लाभार्थी	सहायता प्रदान किए गए की संख्या	लाभार्थी	सहायता प्रदान किए गए की संख्या	लाभार्थी
1	आंध्र प्रदेश	66	2316	13	342	14	144
2	अरुणाचल प्रदेश	4	76	0	0	1	9
3	असम	37	1765	3	51	23	69
4	बिहार	26	1567	5	134	13	138
5	छत्तीसगढ़	65	2325	10	117	12	120
6	गोवा	23	1188	3	378	2	16
7	गुजरात	45	1706	0	0	12	86
8	हरियाणा	24	1403	21	614	7	47
9	हिमाचल प्रदेश	33	1227	3	38	1	11
10	जम्मू और कश्मीर	17	823	0	0	2	0
11	झारखंड	36	992	5	141	15	93
12	कर्नाटक	80	2998	40	1153	25	107
13	केरल	30	788	4	100	12	65
14	मध्य प्रदेश	67	2804	8	348	26	243
15	महाराष्ट्र	67	2605	3	86	13	136
16	मणिपुर	42	1160	14	296	7	55
17	मेघालय	44	960	3	159	3	6
18	मिजोरम	36	1195	0	0	5	50
19	नागालैंड	39	477	3	35	4	5
20	ओडिशा	96	6859	12	244	23	223
21	पंजाब	13	463	0	0	0	0
22	राजस्थान	85	2459	22	401	24	99
23	सिक्किम	12	355	3	60	4	20
24	तमिलनाडु	189	11915	12	264	20	169
25	त्रिपुरा	23	717	2	58	6	49
26	उत्तर प्रदेश	77	3162	20	500	12	120
27	उत्तराखंड	20	437	2	50	2	15
28	पश्चिम बंगाल	73	5436	49	1326	32	460
29	तेलंगाना	42	1343	0	0	11	342
30	अंडमान और निकोबार	3	101	-	0	-	0
31	चंडीगढ़	7	252	0	0	2	17
32	दादर और नागर हवेली	-	0	-	0	-	0
33	दमन और दीव	0	0	-	0	-	0
34	लक्षद्वीप	-	0	-	0	-	0
35	दिल्ली	28	1447	13	380	3	72
36	पुदुचेरी	27	1043	2	42	2	16
	योग	**1476**	**64364**	**275**	**7317**	**338**	**3002**

अनुलग्नक-II

"बाल देखरेख संस्थाओं की बाल संरक्षण नीति" के संबंध में श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे, श्री फिरोज़ वरुण गांधी, श्री पी॰पी॰ चौधरी, श्री सुमेधानन्द सरस्वती तथा श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा दिनांक 21-06-2019 को उठाए गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 50 के भाग (ख और ग) के उत्तर में विर्दिष्ट विवरण

गत तीन वर्षों 2016-19 के दौरान राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में प्राप्त बाल देखरेख संस्थओं तथा आश्रय गृहों से संबंधित शिकायातों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा

क्र.सं	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	2016-17	2017-18	2018-19	योग
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	-	-	-	0
2	आंध्र प्रदेश	-	1	-	1
3	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	0
4	असम	-	2	-	2
5	बिहार	1	-	1	2
6	चंडीगढ़	-	-	-	0
7	छत्तीसगढ़	2	5	2	9
8	दादर और नागर हवेली				0
9	दमन और दीव				0
10	दिल्ली	1	1	2	4
11	गोवा	1	-	-	1
12	गुजरात	1	-	-	1
13	हरियाणा	7	2	2	11
14	हिमाचल प्रदेश	1	-	-	1
15	जम्मू और कश्मीर	-	-	-	0
16	झारखंड	-	-	-	0
17	कर्नाटक	-	-	1	1
18	केरल	-	2	-	2
19	लक्षद्वीप	-	-	-	0
20	मध्य प्रदेश	3	-	2	5
21	महाराष्ट्र	2	3	2	7
22	मणिपुर	-	-	-	0
23	मेघालय	-	-	-	0
24	मिजोरम	-	-	-	0
25	नागालैंड	-	-	-	0
26	ओडिशा	-	2	44	46
27	पुदुचेरी	-	-	-	0
28	पंजाब	-	1		1
29	राजस्थान	5		3	8
30	सिक्किम		-	-	0
31	तमिलनाडु	3	4	-	7
32	तेलंगाना			2	2
33	त्रिपुरा	-	-	-	0
34	उत्तर प्रदेश	8	9	5	22
35	उत्तराखंड	-	2	1	3
36	पश्चिम बंगाल	3	1	-	4
योग		38	35	67	140